SHRI ANANTHKUMAR: No guideline is withdrawn by the Ministry or the Minister. The internal guidelines that were made by the NPPA itself to govern the implementation of para 19 of DPCO is under revision. That is the thing that we have stated before the hon. Court also.

Steep rise in the prices of potato and onion

*83.SHRI ALOK TIWARI : Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether Government is aware that there has been a steep rise in the prices of potato and onion in retail markets of the country during the last three months and has reached at ₹40 per kg which is beyond the reach of poor people;

(b) if so, the details thereof along with the reasons therefor;

(c) whether Government has ordered for import of potato from international market; and

(d) if so, the details thereof along with the likely date by which imported potato would be available in the retail market?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI RAM VILAS PASWAN) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As reported from 64 centres across the country, during the last three months (September-November, 2014) the potato prices generally ranged between ₹19-38 per kg in all centres except at Aizwal, Thiruvananthapuram, and Kozhikode and onion prices ranged between ₹13-38 per kg in all centres except at Aizwal, Dimapur, Ernakulum and Kozhikode. The higher prices at the centres mentioned is mainly because they are non-producing areas and have to procure the supplies from other States.

(c) No, Sir.

(d) Do not arise

श्री आलोक तिवारी : सभापति महोदय, इस साल आलू और प्याज जैसी अति आवश्यक सब्जी लगभग चालीस रुपए प्रति किलो तक रिटेल में बिकी है और अभी भी वह 35 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रही है । आलू और प्याज का उत्पादन करने वाला जो किसान है, वह इन सब्जियों को पैदा करने के लिए खाद, बीज, मजदूरी, पानी आदि लागत लगाने के बाद इन्हें पैदा करता है और उसके बाद बाज़ार में मात्र एक से दो रुपए किलो के भाव पर बेचने के लिए मजबूर होता है । जैसे ही यह उत्पादन उसके हाथ से निकलकर व्यापारियों के हाथ में जाता है, तब यही उत्पादन 30 से

40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाता है । यह कहानी हर साल दोहराई जाती है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जमाखोरों और बिचौलियों के वर्चस्व और फायदे को कम करने और आलू तथा प्याज के जो उत्पादक किसान हैं, उन्हें अधिकतम मूल्य मुहैया कराने के लिए क्या कोई ठोस कदम यह सरकार उठाएगी?

श्री रामविलास पासवानः सर, यह बात सही है कि आलू और प्याज तथा टमाटर भी खासकर के तीन-चार महीने होते हैं जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर, इन महीनों में काफी दाम बढ़ते रहे हैं । जैसा कि मैंने अपने जबाव में कहा है कि यह सही नहीं है कि 40 रुपये किलो सब जगह हो गया है, सिर्फ आईज़ोल, एर्णाकुलम और कोझीकोड क्योंकि वहां पर उपज नहीं होती है, वहां पर इनको बाहर से मंगाना पड़ता है इसलिए वहां पर 40 रुपये से ज्यादा दाम बढ़ गए हैं । ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापतिः आप पहले जबाव सुन लीजिए ।

श्री रामविलास पासवानः सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास में चावल है, गेहूं है या चीनी है इसकी लाइफ ज्यादा होती है, लेकिन सब्जी वगैरह की लाइफ कम होती है । हमारे पास में ऐसी स्टोरेज़ कैपेसिटी नहीं है जिसमें तीन-चार महीने तक उसको प्रिजर्व कर सकें । इसका नतीजा यह होता है कि दाम बढ़ते हैं । इस बार हमने कड़ाई की है, इसलिए दाम पिछले साल के मुकाबले में कम रहे हैं । जो बात आपने कही, मैं उससे सहमत हूं कि एक ही जगह पर, यदि नासिक में प्याज पैदा होता है, तो नासिक में प्याज की कीमत बहुत कम होती है और इसकी एक्सपोर्ट की मांग होती है और दूसरी जगह दिल्ली में उसका दाम बढ़ जाता है । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे यहां कॉमन नेशनल मार्केट नहीं है । हर जगह पर, हर राज्य का अपना-अपना तरीका है, जैसे पंजाब है, पंजाब के जो किसान हैं, उनको मंडी के थ्रू आना पड़ता है । एक APMC Act है, इसके बारे में हमने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि APMC Act में संशोधन करिए जिससे कि कॉमन नेशनल मार्केट हो और एक जगह पर जहां दाम अधिक है और दूसरी जगह पर जहां किसान को कम दाम मिल रहा है, उन दोनों को एक लेवल में लाया जा सके । जिस दिन ऐसा हो जाएगा, मैं समझता हूं कि आपकी जो शिकायत है, वह दूर हो जाएगी ।

श्री आलोक तिवारीः सभापति महोदय, आलू और प्याज के सीज़न में उत्तर प्रदेश के किसानों को कोल्ड स्टोरेज़ और वेयरहाउसेज़ के अभाव और लागत से ज्यादा मूल्य के खरीददारों के अभाव में इन फसलों को सड़क के किनारे फेंकना पड़ता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के आलू और प्याज के जो उत्पादक किसान हैं, उन्हें पर्याप्त वेयरहाउस और कोल्ड स्टोर की फैसेलिटी सरकारी खर्चे पर उपलब्ध कराई जाएगी और क्या सरकार एफसीआई के माध्यम से आलू और प्याज को किसानों से खरीदेगी?

श्री रामविलास पासवानः सर, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहां जो गोदाम की कैपेसिटी है और फूड सिक्योरिटी एक्ट के मुताबिक हमें 618 लाख टन अनाज चाहिए, लेकिन हमारे यहां गोदाम की जो कैपेसिटी है, वह 798 लाख टन है, जिसमें स्टेट और नेशनल दोनों शामिल हैं । मैंने कहा कि ये गोदाम आलू, प्याज और टमाटर के लिए सक्षम नहीं है, चूंकि ये एक हफ्ते में खराब हो जाते हैं । इसलिए उस गोदाम से इसका कोई मतलब नहीं है । हमने भाभा इंस्टीट्यूट के लोगों को भी बुलाया था और उनसे हमने आग्रह किया था कि आप लोग कोई ऐसी टेक्नोलॉजी निकालो जिसमें हम इसे तीन महीने तक प्रिजर्व कर सकें । इससे जो हर साल का संकट है उसका निदान हो सकता है ।

श्री मनसुख एल. मांडवियाः सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आलू और प्याज फैक्ट्री में तो पैदा नहीं हो सकते, इन्हें तो किसान ही पैदा करते हैं । मैं गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट से belong करता हूं और हमारे डिस्ट्रिक्ट में प्याज की खेती होती है । जब प्याज का उत्पादन होता है, तो उसका रेट मार्केट की मांग और पूर्ति पर निर्भर होता है । ऐसी स्थिति में किसान प्याज को अपने यहां स्टोर कर सके और उसकी लाइफलाइन कैसे बढ़ाई जाए, अगर उसकी लाइफ बढ़ेगी, तो उसको ज्यादा दिन तक रख पाएंगे । जब ऐसा कर पाएंगे, तब मार्केट में भाव बढ़ने पर प्याज को मार्केट में लाया जाएगा । अभी यहां पर कोल्ड स्टोरेज़ की फैसेलिटी देने की बात हुई, लेकिन प्याज के लिए irradiation treatment आवश्यक होगा । यदि प्याज को irradiation treatment दी जाए तो इसकी लाइफ बढ़ सकती है । सरकार ने प्याज को स्टोर करने के लिए, इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, irradiation treatment फैसेलिटी उपलब्ध कराने के लिए irradiation treatment plant लगाना होगा । क्या ऐसी कोई व्यवस्था सरकार ने की है या भविष्य में ऐसा करने के बारे में सरकार ने कुछ सोचा है?

श्री रामविलास पासवान : सर, हम लोग हर तरह का प्रयास कर रहे हैं और माननीय सदस्य जिस प्लांट की बात कर रहे हैं, मैं इनको invite करता हूं कि ये एक दिन मेरे आफिस में आ जाएं और मैं उसको दिखवा लूंगा । यदि उससे समस्या का निदान होने वाला है, तो मैं immediately कर दूंगा ।

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इन्होंने यह कहा है कि चार सेन्टर्स पर आलू और प्याज महंगा मिलता है, क्योंकि वे produce नहीं करते । क्या वहां के लोगों का कुसूर है कि वहां ये पैदा नहीं हो पाते? क्या उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडीज़ दी जाती है, ताकि वे prices कम हो सकें और वह दूसरों के बराबर हो सके, इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है? यह तो कोई excuse नहीं है तक वहां पर ये चीजें पैदा नहीं होती है, इसलिए महंगाई है । मैं यह जानना चाहूंगी कि सरकार इसके लिए क्या करने जा रही है?

श्री रामविलास पासवान : सर, मैंने कहा है कि जहां यह पैदा नहीं होता है, वहां पर transportation cost तो बढ़ना स्वाभाविक है । आपने किसान की लागत के बारे में कहा है । एक बार शरद जी ने भी कहा था कि हम लोग भी जो सोशलिस्ट मूवमेंट में रहे हैं, जानते हैं कि यदि कार की कीमत तीन गुना बढ़ जाए, तो कहीं हल्ला नहीं होता है । लेकिन प्याज का, टमाटर का भाव यदि चार रुपए किलो बढ़ जाता है, तो उसी पर सरकार का आना-जाना निर्भर हो जाता है । इसलिए यह जो किसान का मामला है, हम चाहते हैं कि जो फसल की उपज है, वह किसान को मिले, व्यापारी को नहीं मिले । आज जैसा कि आपने कहा है कि पंजाब में आठ रुपए किलो आलू, प्याज मिलता है, तो दिल्ली में आते-आते वह 25-30 रुपए किलो हो जाता है । यह इसलिए होता कि वहां का टैक्स सिस्टम अलग है, वहां का मंडी सिस्टम अलग है । यूपी का टैक्स सिस्टम अलग है और पश्चिमी बंगाल का अलग है । पश्चिमी बंगाल में दाम बढ़ने लगा, तो वहां के मुख्य मंत्री ने कहा कि हम अपने सामान को बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि इससे हमारे यहां दाम बढ़ता है । इसीलिए मैंने कहा है जब तक एक्ट में संशोधन नहीं होता है, जो APMC act है, हमने उसके लिए बहुत बार कहा है कि जमाखोरी के खिलाफ कानून बनाओ । जो जमाखोरी है, हम उसको काटकर Essential Commodities Act में संशोधन की बात कर रहे हैं । इसमें 6 महीने से लेकर साल भर retention की अवधि हो जाएगी, bailable से non-bailable हो जाएगा । राज्यों से कहा गया है तक जमाखोरी के खिलाफ कार्यवाही करें । ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सर, मैं ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के बारे में जानना चाहती हूं कि क्या ये स्टेट्स को ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान : देखिए, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी, तो किसी एक स्टेट को नहीं मिलेगी । कानून जब बनता है, तो वह हर राज्य के लिए होता है । आपने अपना एक विचार दिया है । अभी जो मौजूदा हालात हैं, मैं आपको बतला रहा हूं ।

श्री नरेंद्र कुमार कश्यप : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में तीन केंद्रों के नाम अंकित किए हैं । वहां पर प्याज और आलू का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए महंगा बिकता है । मुझे इसकी जानकारी है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं । नार्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से जो भी लगे प्रदेश हैं, तकरीबन सभी प्रदेशों में आलू, प्याज की खेती बहुतायत में होती है । आज आप उत्तर प्रदेश के बाजार में जाइए या उत्तर के आसपास के प्रदेशों के बाजारों में जाइए, वहां भी आज की तारीख में आलू, प्याज के दाम बहुत अधिक मात्रा में बढ़े हैं । मैं मंत्री जी से यह स्पष्ट करने के लिए कहूंगा कि यह महंगाई केवल तीन सेन्टर्स पर नहीं है, यह महंगाई पूरे नार्थ इंडिया में भी है । इसके लिए सरकार हमेशा यह कहती रही है कि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज़ की कमी है और हम आलू, प्याज का रखरखाव नहीं कर सकते ।

माननीय मंत्री जी, मैं आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि आलू को कोल्ड स्टोरेज़ में रखने की व्यवस्था हमारे देश में पहले से है । वह 15 दिनों में खराब नहीं होता है, वह आठ दिनों में खराब नहीं होता है । उसको तीन-चार महीने तक रखा जा सकता है ।

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिए ।

श्री नरेंद्र कुमार कश्यप : सर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है । मैं एक बात कहना चाहूंगा तक क्या मंत्री जी इन तीनों केंद्रों के अलावा नार्थ इंडिया के जिन प्रदेशों में आलू, प्याज के दाम बढ़े हैं, वे क्यों बढ़ें हैं, इसकी जांच करा लें ।

दूसरी बात यह है कि सरकार के सामने कोल्ड स्टोरेज को बनाने में कठिनाई क्या है, मंत्री कृपया इसका भी उत्तर दे दें ।

श्री रामविलास पासवान : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि जो प्रश्न है, वे उस प्रश्न को देख लिया करें । हमसे यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत तीन महीनों के दौरान देश के खुदरा बाजारों में आलू और प्याज की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और जो अब बढ़कर 40 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है । ये जो तीन जगहों के नाम आए हैं, वे 40 रुपये प्रति किलो वाली जगहें हैं, बाकी जगहों पर कहीं पर 30 रुपये, 32 रुपये, 28 रुपये और कहीं 26 रुपये प्रति किलो भी है । यहां केवल तीन जगहों की बात कही गई है । आपने जो कहा है, आप जो कोल्ड स्टोरेज की बात कहते हैं ...**(व्यवधान)**... एक मिनट ...**(व्यवधान)**... मैं उस संबंध में अपने आधार पर ही बात कर रहा हूं । आपने पहले गोदाम की बात कही है, तो मैंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि जो आम गोदाम हैं, उनमें यह संभव नहीं है । जहां तक कोल्ड स्टोरेज की बात है, मैं उस इश्यू को देख रहा हूं । लेकिन जो टेक्नोलॉजी आज है, उस टेक्नोलॉजी में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह आठ, दस दिन में खराब हो जाएगा ।

श्री नरेंद्र कुमार कश्यप : मंत्री जी, ऐसा नहीं है ।

MR. CHAIRMAN: Please. ...(*Interruptions*)... There is no discussion.

श्री रामविलास पासवान : यदि यह मान लेते हैं कि जो कोल्ड स्टोरेज की बात है और हम कोल्ड स्टोरेज के मामले में आश्वस्त हो जाएं तक हम इसको दो, तीन महीने तक प्रिजर्व कर सकते हैं, तो हम FCI से कहेंगे कि उस तरह के कोल्ड स्टोरेज बनाए । हम इसके लिए प्राइवेट सेक्टर वालों को भी प्रोत्साहन देने के लिए तैयार हैं ।

श्री नरेंद्र कुमार कश्यप : सभापति जी, हाउस को ...(**व्यवधान**)... किया जा रहा है । सब जानते हैं कि उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है ।

Access to internet services

*84. SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR : Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) the number of people in the country currently not having access to the internet;

(b) whether studies have alluded to illiteracy being a major hurdle for internet penetration, if so, the details thereof;

(c) whether the Digital India strategy has taken this into account; and

(d) if so, the strategy of the programme to deal with this challenge and ensure internet penetration and access?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Sir, as per the information provided by Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), there are 25.44 crore Internet subscriber, as on 30.04.2014.

(b) Apart from illiteracy, the other impediments hindering the growth of Internet/ broadband services in the country are :

(i) Low PC penetration

(ii) High cost of Customer Premises Equipment

(iii) Lack of local content

(iv) Poor power supply

(v) High backhaul cost